दैनिक जागरण

पराजय से मनुष्य खत्म नहीं होता- मैदान छोड़ने से होता है

पाकिस्तान का प्रलाप

जम्मू-कश्मीर संबंधी अनुच्छेद 370 एवं 35-ए हटाने और राज्य का पुनर्गठन करने के बाद जब इसकी हर संभव कोशिश हो रही है कि घाटी में अमन-चैन का माहौल कायम हो तब पाकिस्तान वहां के हालात बिगाड़ने में जुटा हुआ है। स्पष्ट है कि उससे सतर्क रहने की जरूरत है। यह जरूरत इसलिए और बढ़ गई है, क्योंकि वह छल-कपट का सहारा लेने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के छल-कपट पर केवल यह मान लेना पर्याप्त नहीं कि यह उसकी हताशा का नतीजा है। उसकी हरकतों पर गंभीरता से निगाह रखनी होगी, क्योंकि वह बौखलाहट में आकर ऐसे कोई कदम उठा सकता है जो कश्मीर की शांति और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले साबित हों। पाकिस्तान इस झूठ को सच का रूप देने की कोशिश कर रहा है कि कश्मीर में असंतोष उफान पर है और मोदी सरकार के फैसले पर वहां लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। इस झूठ का प्रतिकार और पर्दाफाश सक्रियता के साथ किया जाना चाहिए। इसकी आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि वह इसी तरह के झूठ से विश्व जनमत को प्रभावित करने की फिराक में है।

हालांकि अभी तक किसी भी प्रमुख देश ने पाकिस्तान के मन माफिक बयान नहीं दिया है, लेकिन भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह कश्मीर पर अपने दुष्प्रचार से किसी देश को झांसे में न ले सके। चूंकि पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है इसलिए वह ऐसी किसी बात पर ध्यान देने वाला नहीं कि उसे कश्मीर की हकीकत स्वीकार करनी चाहिए। वह इस सच को आसानी से इसलिए स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि अपने जन्म के बाद से ही उसने यह सपना देखा है कि कश्मीर उसका है और वह उसे छल या बल से एक दिन हासिल करके रहेगा। उसने यही सपना अपने लोगों को भी दिखाया और इसी कारण वहां की जनता का एक बड़ा वर्ग इस मिथ्या धारणा का शिकार हो गया कि कश्मीर पाकिस्तान बनने को बेताब है। धीरे-धीरे इस धारणा ने एक उन्माद का रूप धारण कर लिया और उसके चलते वहां ऐसे आतंकी संगठन पैदा हुए जो बंदूक के बल पर कश्मीर हासिल करने की सनक से ग्रस्त हो गए। इस सनक को पाकिस्तानी सेना ने इसलिए बढ़ावा दिया, क्योंकि उसे अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए एक दुश्मन चाहिए था। पश्चिमी देश यह कहते-कहते थक गए कि पाकिस्तान के लिए खतरा भारत नहीं, उसके अपने जेहादी संगठन हैं, लेकिन उसकी मानसिकता नहीं बदली। चूंकि अनुच्छेद 370 से पाकिस्तान के पैरों तले की जमीन खिसक गई है इसलिए वह बौखलाया हुआ है। भारत को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी यह बौखलाहट आसानी से शांत नहीं होने वाली।

हर वर्ष हो परीक्षा

झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी का तीन वर्षों की रिक्तियों के आधार पर एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय सराहनीय है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने भी इस पर अपनी सहमति प्रदान करते हुए सभी विभागों को रिक्तियां आयोग को भेजने का निर्देश दिया है, ताकि शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सके। इसके तहत वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 के लिए एकीकृत संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब सवाल उठता है कि समय पर सिविल सेवा परीक्षा नहीं हो पाती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर जेपीएससी को तीन वर्षों की परीक्षा एक साथ क्यों लेनी पड़ रही है? यह सही है कि इससे रिक्तियां भरेंगी, लेकिन जो युवा इस परीक्षा की तैयारी में अपना जीवन लगा देते हैं उनका क्या होगा? समय पर परीक्षाएं नहीं होने से उनकी आयु बीत जाती है और वे बेरोजगार रह जाते हैं। छठी सिविल सेवा परीक्षा की ही बात करें तो यह हमेशा विवादित रहने के कारण पांच वर्ष में भी पूरी नहीं हो सकी है। भले ही इसकी मुख्य परीक्षा हो चुकी है, लेकिन इससे संबंधित एक मामला कोर्ट में है और कोर्ट के आदेश के बाद ही इसका परिणाम प्रकाशित होगा। इस बीच इस परीक्षा की प्रक्रिया में कई बार बदलाव किए गए। कई मामले कोर्ट में गए। इन्हीं सब कारणों से राज्य गठन से लेकर अब तक जहां 18 सिविल सेवा परीक्षा होनी चाहिए थी, वहीं अभी तक महज पांच परीक्षाएं ही सही मायने में पूरी हो पाई हैं। उनमें दो परीक्षाएं विवादित रहीं और उनकी सीबीआइ जांच चल रही है। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव वीएस दूबे की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी ने वर्ष 2014 में ही अपनी रिपोर्ट में सिविल सेवा परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित करने की अनुशंसा की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब भी तीन वर्षों की परीक्षा एक साथ कराकर अगले वर्ष से यह प्रत्येक वर्ष आयोजित हो तो न केवल राज्य सेवाओं के विभिन्न पद भरेंगे, बल्कि प्रदेश के कई युवाओं को नौकरियां भी मिलेंगी। उम्मीद है कि राज्य सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में पहल कर रही होगी। जरूरत यह भी है कि सभी विभाग रिक्तियां समय पर आयोग को भेज दे, ताकि प्रारंभिक परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो सके।

मोदी-शाह ने बनाया असंभव को संभव

प्रदीप सिंह

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अनुच्छेद 370 और 35-ए हटाने और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का जो ऐतिहासिक काम किया उसका आजाद भारत के इतिहास में दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है

अवधेश राजपूत

कुशल और सफल नेतृत्व के बारे में चाणक्य ने कहा है, 'जब किसी काम को करना शुरू करो तो असफलता से मत डरो और उसे छोड़ो मत। शासक के अंदर असफलता का डर नहीं होना चाहिए। काम करते रहो परिणाम की चिंता मत करो।' जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35-ए हटाते समय शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चाणक्य की इसी नीति पर चले। इस मुद्दे पर देश पिछले सात दशकों से एक ही रास्ते पर चलते-चलते बंद गली में पहुंच गया था। इस जोड़ी ने ऐसा ऐतिहासिक काम किया है जो पांच अगस्त से पहले अकल्पनीय माना जाता था। आजाद भारत के इतिहास में इसका कोई सानी नहीं है। अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर देश सत्तर साल से एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। इस चक्रव्यूह को तोड़ना तो दूर इसको तोड़ने के बारे में सोचने से भी देश की सरकार और सत्तारूढ़ दल कतराता था। इस अनुच्छेद से सूबे के गिने हुए लोगों का निहित स्वार्थ जुड़ा था। अभिनेता मनोज वाजपेयी की एक फिल्म आई थी 'अय्यार'। इसमें उनका फौजी अफसर पूछता है कि जब सब लोग जानते हैं कि कश्मीर समस्या का हल क्या है तो इसे हल क्यों नहीं करते? मनोज वाजपेयी कहते हैं कि जिस समस्या से सबके स्वार्थ जुड़े हों, उसे कोई हल नहीं करना चाहता। मोदी और शाह ने संसद में एक संकल्प के जरिये इसे तोड़ दिया।

मोदी और शाह ने जो काम किया उसका असर देशवासियों पर तारी होने में अभी वक्त लगेगा। उसकी वजह यह है कि पूरा देश मान चुका था कि यह काम करने का साहस कोई जुटा नहीं पाएगा। मोदी से इसकी अपेक्षा थी कि शायद वह कुछ करें, लेकिन अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने कुछ नहीं किया तो लोगों ने इसे प्रारब्ध समझकर स्वीकार कर लिया। दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें जनादेश देते समय मतदाता ने मान लिया था कि मोदी भी यह काम नहीं कर पाएंगे। वास्तव में ऐसी दो-तीन पीढ़ियां हैं जिन्होंने मान लिया था कि अपने जीवनकाल में वे यह होते हुए नहीं देख पाएंगे। यही कारण है कि गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में लग रहे वंदेमातरम् और भारत माता की जय के नारे को रोका नहीं। वह सदन में खड़े हुए और कहा, 'सत्तर साल की टीस जा रही है तो भावना की अभिव्यक्ति होनी चाहिए।' प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अनुच्छेद 370 और 35-ए हटाने और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का जो ऐतिहासिक काम किया उसका आजाद भारत के इतिहास में दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है। यह ऐसा सुखद आश्चर्य है जो ज्यादातर लोगों के लिए अकल्पनीय था और अब भी कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि यह सचमुच हो गया।

जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे पर पल रहे कुछ दल और बुद्धिजीवी इस कदम की गोपनीयता पर सवाल उठाकर इससे अलोकतांत्रिक बताने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार के तरीके से एक बार फिर चाणक्य नीति याद आती है। चाणक्य ने मंत्र (नीति) गुप्ति का सिद्धांत दिया था। इसे मंत्र संरक्षण भी कहा गया है। इसके मुताबिक राजा को अपनी नीति का संरक्षण कछुए की तरह करना चाहिए। जैसे कछुआ अपने खोल से उतना ही अंग निकालता है जितने की जरूरत होती है उसी तरह जिसको जितना काम दिया गया है उसे उतना ही पता होना चाहिए।

अमरनाथ यात्रा रोकी गई तब से लोग कयास लगा रहे थे कि क्या होने वाला है? अब जब अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाकर और सूबे को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित कर केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया तो कहा जा रहा है कि इससे राज्य की हालत बिगड़ जाएगी। ऐसे लोगों से कोई पूछे कि सत्तर साल में राज्य के हालात सुधरे कब थे। क्या तब जब एक तिहाई से ज्यादा कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जब साढ़े तीन लाख हिंदुओं को घाटी से निकाल दिया गया, जब मस्जिदों से एलान हुआ कि अपनी जायदाद और औरतों को छोड़कर चले जाओ तब या जब सैयद अली शाह गिलानी निजामे मुस्तफा लाने की बात कर रहे थे अथवा जब सूफी कश्मीर को जिहादी बना दिया गया या फिर जब नारे लग रहे थे कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा? पिछले तीन दशक में करीब 42 हजार लोग मारे गए। क्या इसे सुधरे हुए हालात का नतीजा कहें?

दरअसल विरोधियों के पास कोई तर्क है नहीं। संसद के दोनों सदनों में दो दिन इस पर बहस हुई। एक भी वक्ता यह नहीं बता पाया कि अनुच्छेद 370 और 35 ए ने कश्मीर के लोगों को क्या दिया या इस अनुच्छेद को बनाए रखने का औचित्य क्या है? जो अस्थायी था उसे स्थायी क्यों बनाया जाए। पांच अगस्त को जब अमित शाह ने इस अनुच्छेद के एक को छोड़कर बाकी सभी प्रावधानों को हटाने का संकल्प और जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का विधेयक संसद में पेश किया तो एक ऐतिहासिक गलती को सुधारने का ही शुभारंभ नहीं हुआ। जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन और भारत के साथ वास्तविक मायने में एकीकरण और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस में विघटन का बीजारोपण भी हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं जनार्दन द्विवेदी, भुवनेश्वर कलिता, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दीपेंद्र हुडा, मिलिंद देवड़ा, रायबरेली की विधायक अदिति सिंह और कर्ण सिंह ने पार्टी के बजाय सरकार के समर्थन का विकल्प चुना।

इतिहास आपको इस बात के लिए याद नहीं रखता कि आपकी पैदाइश क्या है? इतिहास इस बात को याद रखता है कि आपने किया क्या? कश्मीर समस्या से निपटने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया वह मोदी और शाह ही सोच सकते थे। संसद के दोनों सदनों में अमित शाह ने जिस तरह पूरी बहस का जवाब दिया उससे उनका राजनीतिक कद कई गुना बढ़ गया है। अभी तक देश ने उनके संगठन का कौशल देखा था। अब उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता का लोहा मनवा लिया है। अब इस जोड़ी के सामने दूसरी बड़ी चुनौती घाटी के लोगों को यह समझाने की है कि सरकार ने जो कदम उठाया है वह उनके हित में है। यह चुनौती इसलिए बड़ी है, क्योंकि घाटी और उसके बाहर के कुछ राजनीतिक तत्वों की मंशा और कोशिश है कि शांति व्यवस्था बिगड़े। इसमें उनका साथ देने के लिए लिबरल मीडिया भी लामबंद है। हर तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है। इन तत्वों की पूरी ताकत इसमें लगी है कि संसद में मिली कामयाबी सड़क पर नाकामी में बदल जाए। यह चुनौती सरकार के लिए एक अवसर है। इसकी सफलता में विकास की अहम भूमिका होगी। शायद इसीलिए गृह मंत्री ने संसद में और प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विकास करके दिखाएंगे।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

जमीन का टुकड़ा भर नहीं है कश्मीर

नीरजा माधव

एक समय कश्मीर वैसे ही था जैसे रामेश्वरम, द्वारका या पुरी हैं, हमारी अर्चनाओं का भूखंड था यह क्षेत्र

पांच अगस्त, 2019 का दिन भारत के लिए 1947 में मिली आजादी से कम महत्व नहीं रखता। इस दिन अनुच्छेद 370 और 35ए के रूप में कश्मीर को मिले विशेष राज्य का दर्जा और कुछ विशेष अधिकार को समाप्त करने की निर्णायक पहल हुई। ये अधिकार कश्मीर को भारत से अधिक पाकिस्तान की ओर धकेल रहे थे। साथ ही जम्मू-कश्मीर को भारतीय संस्कृति से दूर कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार के फैसले से एक राष्ट्र, एक विधान और एक निशान के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग तो बन ही गया, साथ ही भारतीय संस्कृति से उसके जुड़ाव वाले अवरोधक भी खत्म हो गए। दरअसल किसी भी भूखंड का इतिहास उसकी राजनीतिक गलतियों से निर्मित नहीं होता, अपितु उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से तय होता है। ऐसे ही कश्मीर को समझने से पहले उसका सांस्कृतिक इतिहास जानना जरूरी है। कोई भी राष्ट्र मात्र कागज पर पेंसिल से खींचा गया राजनीतिक या भौगोलिक मानचित्र नहीं होता। उसकी एक निरंतर प्रवाहमान सांस्कृतिक धारा भी होती है। जैसे एक नदी कहीं से निकलती है और प्रवाहित होती है। काल के थपेड़ों में कभी वह पूरी तरह सूख जाए, पर जैसे ही वर्षा होती है वह नदी पुनः अपने स्वरूप में जीवित हो उठती है। कश्मीर भी मात्र एक भूखंड नहीं, अपितु अपने अतीत में नदी की तरह पूरा सांस्कृतिक प्रवाह समेटे है। समय के साथ विदेशी हमलावरों के आघात के कारण कश्मीर की प्राचीन सांस्कृतिक छवि भले दब गई हो, पर समय आते ही वह पुनः जीवित हो उठी। कश्मीर की इस प्राचीन विरासत को हमें समझना होगा।

वास्तव में कश्मीर सनातन धर्म और दर्शन का केंद्र रहा है। आज भी प्राचीन काल के अलौकिक मंदिर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। वहां की अपनी पूजा पद्धति है। कश्मीर का ज्ञान-विज्ञान इतना उन्नत था कि चीन, जापान से यात्री वहां गए और वहां की संस्कृति, आध्यात्मिकता का वर्णन अपने यात्रा वृतांतों और साहित्य में किया। कश्मीर जो शैव-दर्शन का केंद्र था और हिंदुओं की पहचान था वह किसी कालखंड में इस्लाम का परिचय बन गया। आज जो यह दावा करते हैं कि इस्लाम ही कश्मीरियत है उन्हें यह याद रखना होगा कि कश्मीरियत वह है जो आदि शंकराचार्य के दर्शन में प्रकट होती है और जो अभिनव गुप्त के नाट्यशास्त्र में प्रदर्शित होती है। अध्यात्म का शिखर क्षेत्र है कश्मीर। वह कश्मीर प्राचीन काल से ही ज्ञान, कला और दर्शन का शिखर रहा है। कश्मीर वैसे ही था जैसे रामेश्वरम, द्वारका या पुरी। हमारी अर्चनाओं का भूखंड था यह क्षेत्र। दुखद है कि लोग संस्कृति के नाम पर विलाप करते हैं, उसका वास्तविक अध्ययन नहीं करते। सभी वैचारिक दंगलों के पीछे यही त्रुटि होती है। भारत 'अतिथि देवो भव' जैसी भावुकताओं में विश्वास करने वाले भोले लोगों का देश था। भारत में इस्लाम भारतीय चोला धारण कर मेहमान की तरह आया। हमने उसे अपने घर में स्थान दिया। बाद में क्या हुआ, यह किसी से छिपा नहीं। सब जानते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ?

यहां यह जानना जरूरी है कि 1947 में भारत की आजादी के बाद जम्मू-कश्मीर का जितना क्षेत्रफल था, उसके लगभग आधे पर चीन और पाकिस्तान ने मिलकर कब्जा कर लिया। गिलगिट-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली आदि क्षेत्रों पर पाकिस्तान का बलात नियंत्रण हो गया। पाकिस्तान के नियंत्रण वाले इसी कश्मीर के मुजफ्फराबाद जिले के पास से पवित्र 'कृष्ण-गंगा' नदी बहती है, जिसका पौराणिक महत्व है। कहा जाता है कि इसी नदी के किनारे स्वयं ब्रह्मा द्वारा मां शारदा का मंदिर बनाकर उन्हें स्थापित किया गया और उसी के बाद से सारा कश्मीर 'नमस्ते शारदा देवी कश्मीरपुर वासिनी' कहते हुए उनकी आराधना करता रहा। मां शारदा की ऐसी कृपा कश्मीर पर हुई कि शिवपुराण, कल्हण की राजतरंगिणी, चरक संहिता, अष्टांग योग आदि ग्रंथों की रचना वहीं हुई। शैव दार्शनिकों की एक लंबी परंपरा भी कश्मीर से प्रारंभ हुई। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि शारदा पीठ के पास बहुत बड़े-बड़े विद्वान रहते थे और वहां एक विद्यापीठ था जहां दुनिया भर के विद्यार्थी ज्ञानार्जन करने आते थे। हिंदू धर्म की पताका फहराने वाले आदि शंकर ने इसी शारदा पीठ में मां वाग्देवी के दर्शन किए थे। स्पष्ट है कि कश्मीर भारतीयों की पहचान का क्षेत्र है। अब जब अनुच्छेद 370 और 35ए समाप्त हो गए हैं तो उम्मीद है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी के साथ ही जीर्ण-शीर्ण मंदिरों का उद्धार भी होगा और मोक्ष और ज्ञान की कामना से लोग वहां प्रवास कर सकेंगे।

(लेखिका साहित्यकार हैं)

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | भारत-पाक के बीच व्यापार

(प्रतिशत में भारत के कुल व्यापार का हिस्सा)

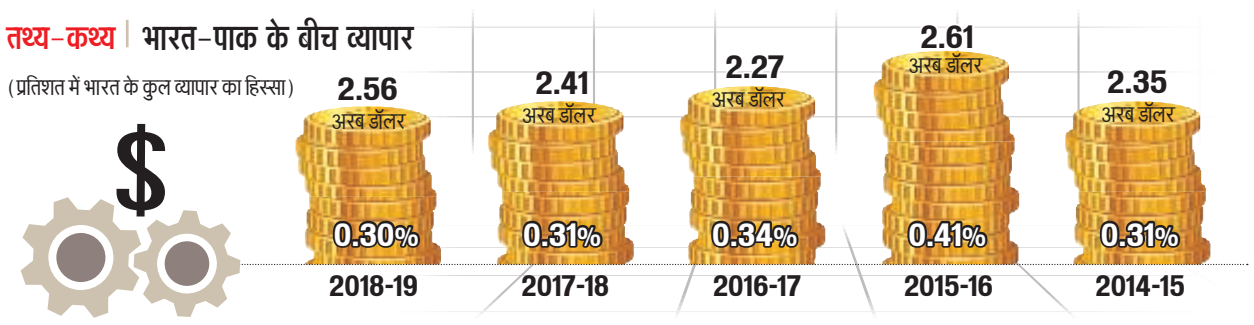

ऊर्जा

भूल के लिए माफी

मनुष्य का जीवन मिला है तो उसमें गलतियां होती रहती हैं। गलतियों की व्याख्या ऋषियों-मुनियों ने यह की है कि जब व्यक्ति स्व-हित में शास्त्र विरुद्ध या संविधान विरुद्ध कार्य करता है तो वह पाप या अपराध के रूप में माना जाता है। पर-पीड़ा को निंदनीय माना गया है। कुछ गलतियां तो अनजाने में हो जाती हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है। ज्यादातर गलतियां तो जानबूझकर होती हैं। संविधान द्वारा बनाए गए नियम-कानून का उल्लंघन करने पर शासन-व्यवस्था दंड देती है, लेकिन परिजनों, मित्रों, शुभचिंतकों के साथ गलती या नकारात्मक कार्य, जिसका दंड यदि कानून व्यवस्था से नहीं मिलता, उसका फल प्राकृतिक ढंग से मिलता है। प्रथमतः तो आदतें बिगड़ती हैं। गलत रास्तों से मिली सुविधा या भौतिक संसाधन के साथ पीड़ित व्यक्ति की आह भी मिलती है। किसी का धन हड़प कर उससे की गई पूजा-पाठ का लाभ मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जिस भगवान की कृपा के लिए पूजा-पाठ या अनुष्ठान किया जाएगा, वह भगवान स्वीकार कर लेगा, यह असंभव है।

मनुष्य-जीवन में गलती का पता लगाने के लिए उपाय बताए गए हैं जिसमें हर दिन शाम को सोते समय इस पर चिंतन जरूर करना चाहिए कि पूरे दिन तिकड़म, धोखा, झूठ करके किसी को पीड़ा तो नहीं पहुंचाई? यह पूरी तरह सच है कि तेजी से भागती जिंदगी में थोड़ी देर के लिए रुक कर अपने मन से संवाद किया जाए तो मन सब कुछ सच सच बता देता है।

ऋषियों-मुनियों ने आनंदपूर्ण जीवन के लिए ही प्रायश्चित करने का उपाय बताया है। जिसमें सर्वप्रथम जिसके साथ गलती की गई है, उसे जाकर बता देना कि मैंने आपके साथ गलत काम कर दिया है। यदि यह न हो सके तो अपने मन में यह ठान लेना चाहिए कि अब इस तरह की गलती किसी के साथ किसी भी हालत में नहीं करूंगा। गलतियों का खुलेआम बयान प्रायश्चित-यज्ञ है। ऐसा न करने पर जीवनपर्यंत की गई गलती को लेकर पश्चाताप होता रहेगा और यह पश्चाताप जीवन को कष्टदायी बनाता रहेगा।

सलिल पांडेय

उड़न तश्तरियों की सच्चाई

सौरभ सिंह

दुनिया भर में उड़न तश्तरी देखे जाने के ढेरों दावे किए जा चुके हैं, लेकिन विज्ञान की कसौटी पर उड़न तश्तरी अब भी खरी नहीं उतरी है

पिछले दिनों चीन के कई प्रांतों में लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उन्होंने आसमान में एक अज्ञात उड़ती हुई वस्तु या यूएफओ देखा है जिसके पीछे चमकती रेखा दिख रही है। दुनिया के कई शहरों में उड़न तश्तरियों को उड़ते हुए देखे जाने की खबरें जब तब आती रही हैं। इन अज्ञात उड़ती वस्तुओं अर्थात अनआइडेंटीफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स (यूएफओ) का आकार किसी डिस्क या तश्तरी के समान होता है या ऐसा दिखाई देता है, जिस कारण इन्हें उड़न तश्तरियों का नाम मिला।

उड़न तश्तरी शब्द 1940 के दशक में निर्मित किया गया था और ऐसी वस्तुओं को दर्शाने या बताने के लिए प्रयुक्त किया गया था जिनके उस दशक में बहुतायत में देखे जाने के मामले प्रकाश में आए। उड़न तश्तरी शब्द ऐसी उड़ती वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है जो दिखने में किसी तश्तरी जैसी दिखाई देती है। उड़न तश्तरियों के अस्तित्व को आधिकारिक तौर पर दुनिया भर की अधिकांश सरकारों द्वारा द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन कुछ गवाह उड़न तश्तरियों के देखे जाने का दावा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन उड़ती वस्तुओं का संबंध परग्रही दुनिया से है, क्योंकि इनके संचालन की असाधारण और प्रभावशाली क्षमता मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त किसी भी उपकरण से बिल्कुल मेल नहीं खाती। वह बिल्कुल अलग दिखती है। प्राचीनकाल से ही उड़न तश्तरियों के देखे जाने का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये पिछले 50-60 वर्षों से अधिक प्रकाश में आई हैं। इनके अध्ययन को यूफोलॉजी कहा जाता है। ये वे लोग होते हैं जो इस प्रकार की घटनाओं की खोज करते हैं।

दुनिया भर में उड़न तश्तरी देखे जाने के हजारों दावे किए जा चुके हैं, लेकिन विज्ञान की कसौटी पर उड़न तश्तरी अब भी खरी नहीं उतरी है। तेल अवीव यूनिवर्सिटी के प्रो. कोलिन प्राइस उड़न तश्तरी को प्राकृतिक परिघटना के रूप में देखते हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उड़न तश्तरी एक प्राकृतिक परिघटना है। उन्होंने इसका नाम स्प्राइट यानी जादुई परी रखा था। वर्ष 1989 में दुर्घटनावश स्प्राइट की परिघटना को रिकॉर्ड कर लिया गया था। उस समय एक खगोल विज्ञानी ने तारों का अध्ययन करते समय अपनी शक्तिशाली दूरबीन से जुड़े कैमरे में कौतूहलपूर्ण क्षणिक घटना को कैद कर लिया था। बाद में प्रो. प्राइस और उनकी टीम ने उस पर गंभीर अध्ययन किया तो पाया कि धरती से 50 से 120 किलोमीटर पर इस तरह की घटनाएं खास परिस्थितियों में लगातार होती रहती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि खास प्राकृतिक घटनाओं की वजह से ऐसा दिखाई देता है। आकाश में काफी ऊंचाई पर बनने वाले शक्तिशाली चक्रवातों की वजह से विद्युतीय तरंगें पैदा होती हैं, जो विमानों और राडारों को प्रभावित करती हैं। कई बार तो इन परिस्थितियों में व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी प्रभावित हो जाता है। चक्रवात जैसी ये प्राकृतिक घटनाएं किसी को भी चमत्कारिक लग सकती हैं। इन्हीं घटनाओं को लोग उड़न तश्तरी समझ लेते हैं।

(लेखक दिल्ली विवि में शोधार्थी हैं)

भ्रमित कांग्रेस

नई शुरुआत के इंतजार में कांग्रेस शीर्षक से लिखे अपने लेख में रशीद किदवई ने ठीक ही लिखा है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी एक नई शुरुआत की प्रतीक्षा कर रही है। अनुच्छेद 370 के हटने पर ही नहीं, देश के अन्य सभी मुद्दों पर कांग्रेस खुद अपनी विचारधारा की तलाश करती सी नजर आ रही है। सौ वर्षों से अधिक के अपने जीवन में कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को इतना विवश और दिशा भ्रमित कभी नहीं पाया होगा। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहर लाल नेहरू और कामराज जैसे दिग्गज अध्यक्ष देख चुकी कांग्रेस पार्टी आज एक बेहद कमजोर अध्यक्ष के इस्तीफा देने के बाद अपने नए अध्यक्ष का चयन करने में भी असमर्थ है। खेदजनक है कि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद भी कांग्रेसियों को अध्यक्ष के लिए प्रियंका गांधी ही नजर आती हैं। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कुछ कांग्रेसी प्रियंका के बेटे का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित कर दें। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना मजबूत सरकार के बराबर ही महत्वपूर्ण होता है। अब समय आ गया है कि कांग्रेस की कमान दूसरी पीढ़ी के किसी सक्षम नेता के हाथों में सौंपी जाए। फिर वह देश भर में पार्टी के संगठन को सक्रिय करने का काम करे, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत भी होती है।

राजीव वार्ष्णेय, चंदौसी

कश्मीर में अब असली आजादी

अनुच्छेद 370 को हटाकर भाजपा सरकार ने अपनी संकल्पशक्ति, दृढ़ता, दूरदर्शिता तथा साहस से एक देश, एक विधान का सपना साकार किया है। जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना आजादी के 70 वर्षों बाद आज सही मायनों पूरा हुआ है। अनुच्छेद 370 भारत के लिए नासूर बन चुका था। इस ऐतिहासिक भूल ने देश की अखंडता के लिए बड़ी बाधा उत्पन्न कर दी थी। 70 वर्षों तक एक ही रास्ते पर चलते-चलते हम 41500 से ज्यादा जाने गंवा चुके हैं। ये हिंसा, खून खराबा अब बंद होना चाहिए। जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र प्रशासित राज्यों कश्मीर एवं लद्दाख में बांटा गया है इससे दोनों राज्य विकसित होंगे। केंद्र सरकार ने 370 हटा कर भारत को सही मायनों में आजादी दिलाई है। राष्ट्रीय एकता व अखंडता की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय हित में लिए इस साहसिक एवं ऐतिहासिक फैसले का सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर स्वागत करना चाहिए।

thakurkk999@gmail.com

पाक की बौखलाहट

केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने एवं जम्मू-कश्मीर व लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर पाकिस्तान की बौखलाहट स्वाभाविक है। जबसे पाकिस्तान पृथक राष्ट्र बना है, तब से ही उसकी आदत रोने की है। रोने वाला देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि पाक जैसे देश को विकास, निर्माण व सद्भावना नहीं हमेशा कड़वाहट ही दिखाई देती है, क्योंकि इसके खून में ही कटुता है। भारत को भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की दरकार है। पाकिस्तान को यह इल्म कराना होगा कि उसको भारत की जरूरत है, ना कि हमें पाकिस्तान की। जिस सख्ती से केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद समाप्त किया, उसी सख्ती से पाकिस्तान को जवाब देने की दरकार है।

hemahariupadhyay@gmail.com

मेलबाक्स

कुछ तथ्य ठीक नहीं

दैनिक जागरण के 07 अगस्त के अंक में प्रकाशित शेरू थपलियाल का लेख, नेहरू की जिद से जुड़ा था अनुच्छेद 370, में संभवतः विलय पत्र पर कुछ तथ्य ठीक नहीं लगते। जहां तक मेरा ज्ञान है, उससे यह ज्ञात होता है कि विलय पत्र का प्रारूप अन्य सभी रियासतों के समान ही था। राजा हरि सिंह ने भी उसी ही स्थिति में बिना शर्त उस विलय पत्र को स्वीकार करके अपने हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर भविष्य में इस विलय पत्र में कोई परिवर्तन होगा तो मुझसे अनुमति ली जाए, परंतु उन विषम परिस्थितियों में कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण जो भी परिवर्तन विलय पत्र में किए गए एवं अन्य जो निर्णय हुए वे सब लॉर्ड माउंटबेटन एवं नेहरू की सहमति से हुए थे। जबकि इसमें शेख अब्दुल्ला की विशेष भूमिका सर्वविदित ही है।

विनोद कुमार सर्वोदय, गाजियाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।